फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ

हनुमान आदि बनाम भगवाना वगैरह

किस्म मुकदमा:–251(क) आरटीए प्रकरण संख्या:–47/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस दिनांक 26.12.19 को सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी श्री बलदेव बिश्नोई ने प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में चक 7 एसजीआर–बी खाता सं0 70/37 प0नं0 13!308(48) कि0नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, 25/1 की 5.098 हैक्टर व इसी चक के खाता सं0 152/130 प0नं0 16/305(22) कि0नं0 10, 11, 12/2 में 0.632 हैक्टर व प0नं0 14/308(47) कि0नं0 22/2, 22/3 व कि0नं0 23 ता 25 में 0.873 हैक्टर नहरी गै0मु0 रास्ता व प0नं0 13/309(49) कि0नं0 1 ता 5 में 1.265 हैक्टर कुल 2.770 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण सं. 02 के नाम से चक 7 एसजीआर 'बी खाता सं0 28/28 प0नं0 14/307(34) कि0नं0 1 ता 15 में 3.795 है0 भूमि खातेदारी व अप्रार्थी सं0 1 भगवाना के नाम भी इसी चक के प0नं0 15/304 के मु0नं0 18 कि0नं0 16 ता 18, 24 व 25 में 1.265 हैक्टर व प0नं0 16/305 कि0नं0 3/2, 4/4, 5/2 में 0.627 है0 व प0नं0 14/307 कि0नं0 4/2, 5/2 में 0.3410 इस प्रकार कुल 3.877 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण के नाम से भूमि 7एसजीआर–बी के प0न0 14/307 कि0न0 5,,15,16 व 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता लगभग 50 वर्षो से मौका पर चालू है एवं आगे खेतों में जाता है। सम्वत 2025 ता 28 की जमाबंदी चक 7 एसजीआर के प0नं0 14/307 की भूमि में रास्ता कटा हुआ है एवं इसी प्रकार 7 एसजीआर के प0नं0 5,6,15 में अप्रार्थी सं0 2 पि0मु0 पुनुसिंह के नाम दर्ज रकबा में भी रास्ता बाबत् भूमि कटी हुई है। उक्त भूमि में बाबत रास्ता स्वीकृति का प्रा0पत्र प्रकरण सं0 128/10 इस न्यायालय में जैरकार था जिसका नि0दि0 31.03.2011 को हो चुका है। जिसें इसी रास्ते होते हुए आये प0नं0 14/308 में रास्ता स्वीकृत किया गया था अन्य कोई भी रास्ता नही है। प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों को भी अपने खेत में आने–जाने के लिए मौका पर पिछले लगभग 50 वर्षो से चालू रास्ता यही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों को असुविधा होगी। इसलिये प्रार्थीगण जमाबंदी सम्वत 2025 ता 28 में दर्ज रास्ता को प्रार्थीगण वर्तमान जमाबंदी में रास्ता स्वीकार किया जाकर गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अप्रार्थी सं0 2 गोलोकौर पि0मु0 पुनुसिंह ने उपस्थित होकर रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति दी है। योग्य अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी सं0 2 गोलो कौर के नाम चक 7एसजीआर–बी के प0न0 14/307(34) कि0नं0 1 ता 15/3.7950 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं0 2 ने उक्त में सहमति प्रदान की है। अप्रार्थी सं0 1 भगवाना के नाम इसी चक के प0नं0 14/307 कि0नं0 16/0.253, 17/1/0.127, 21 ता 25/1.265 कुल 1.645 हैक्टर भूमि दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि सम्वत 2025 ता 28 की जमाबंदी चक 7 एसजीआर के प0नं0 14/307 की भूमि में रास्ता कटा हुआ है। प्रार्थी ने सम्वत 2025 ता 28 में कटे हुए रास्ता की जमाबंदी प्रस्तुत नही की है, जिससे साबित हो की पूर्व में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। चूंकि वर्तमान जमाबंदी में कि0नं0 5,6,15,16 व 25 खातेदारी में दर्ज है। 251(क) आर0टी0ए0 में प्रावधान है कि जमीन के बदला में जमीन अथवा डीएलसी देने का प्रावधान है, किन्तु प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया है कि रास्ता स्वीकृत किये जाने पर रास्ता किसकी खातेदारी भूमि से कम किया जावेगा या नियमानुसार राशि का भुगतान खातेदार को कौन करेगा। प्रार्थीगण की भूमि प0नं0 13/308 में संयुक्त खाता के रकबा में है। जबकि संयुक्त खाता के रकबा में सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया है, जबकि संयुक्त खातेदार को पक्षकार बनाना आवश्यक है। पुराने रास्ता को दर्ज करने का प्रावधान 251(क) आर0टी0ए0 में नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251(क) आर0टी0ए0 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण 251 (क) आर0टी0ए0 आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena

Date: 2020.01.01 13:02:22 IST

Reason: SelfAttested